

**बिहार पुलिस मुख्यालय**  
(कार्मिक एवं कल्याण प्रभाग)  
**आदेश**

पी0-1/04-09-17-2023/346

पटना, दिनांक- 08/08/2024

बिहार पुलिस अधिनियम की धारा-10 में वर्णित प्रावधान के आलोक में पुलिस मुख्यालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा सेवानिवृत्ति की निकटता के आधार पर स्थानान्तरण/पदस्थापन हेतु क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उप-महानिरीक्षक से प्राप्त अनुशंसा पर विचारण हेतु दिनांक-31.07.2024 को समिति की बैठक आहूत की गई।

स्थानान्तरण समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निम्नांकित पुलिस पदाधिकारियों का सेवानिवृत्ति की निकटता के आधार पर स्थानान्तरण/पदस्थापन उनके नाम के सामने स्तम्भ-8 में अंकित जिला में तत्काल प्रभाव से किया जाता है :-

क्र0	पदनाम	नाम	गृह जिला	जन्म तिथि	वर्तमान पदस्थापन	स्थानान्तरण कहाँ चाहते हैं	स्थानान्तरित जिला	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	पु0नि0	संजय कुमार झा	सुपौल	15.01.66	पटना	सहरसा/सुपौल/मधेपुरा	सुपौल	
2	पु0नि0	सुनील कुमार	बलिया (उ0प्र0)	01.11.64	रोहतास	सिवान/बक्सर/पटना	सिवान	
3	पु0नि0	मो0 नौशाद आलम	भोजपुर	08.08.64	रोहतास	पुलिस महानिदेशक कार्यालय, पटना/ पटना जिला स्थिति किसी भी इकाई/ भोजपुर	भोजपुर	
4	पु0नि0	निरजन कुमार चौरसिया	कैमूर	01.09.64	उ0म0नि0 सारग क्षेत्र, छपरा	पटना	पटना	
5	पु0नि0	रविशंकर प्रसाद	गया	18.12.65	अररिया	गया	गया	
6	पु0नि0	नागेश्वर यादव	जहानाबाद	14.01.65	गया	जहानाबाद	जहानाबाद	
7	पु0नि0	नागेश्वर सिंह	भागलपुर	16.10.64	बाँका	भागलपुर	भागलपुर	
8	पु0नि0	सत्येन्द्र चौधरी	पटना	27.01.65	दरभंगा	पटना	पटना	
9	पु0नि0	रामजी प्रसाद	बेतिया	11.08.66	कैमूर	बेतिया	बेतिया	01.09.24 से
10	पु0नि0	अस्मगर इमाम	मधुबनी	06.01.66	रेल कटिहार	मधुबनी	मधुबनी	
11	पु0नि0	सुनीता कुमारी	बेतिया	30.12.64	मोतिहारी	पटना/किसी इकाई/पुलिस मुख्यालय	पटना	
12	पु0नि0	प्रमोद पोद्दार	भागलपुर	27.03.66	बक्सर	भागलपुर	भागलपुर	
13	पु0नि0	प्रद्युम्न सिंह	पटना	21.11.64	किशनगंज	पटना	पटना	
14	प्रा0पु0नि0 (प्रशि0)	जीवित सिंह यादव	कैमूर	16.11.65	मधुबनी	कैमूर	कैमूर	
15	प्रा0पु0नि0 (प्रशि0)	सरयू रविदास	गया	10.10.65	किशनगंज	गया	गया	
16	प्रा0पु0नि0 (प्रशि0)	श्रवण कुमार	भोजपुर	20.02.65	किशनगंज	भोजपुर	भोजपुर	

02. उक्त स्थानान्तरण संबंधित पदाधिकारियों द्वारा समर्पित विकल्प/अभ्यावेदन/अनुशंसा के आधार पर किया गया है। संबंधित कार्यालय प्रधान स्थानान्तरित कर्मियों को विरमित करने से पूर्व उक्त पदाधिकारियों के सेवाभिलेख की जाँच करने के उपरान्त ही जिलादेश निर्गत करने की कार्यवाई करेंगे। यदि इसमें कोई भिन्नता पाई जाती है, तो एतद् संबंधी सूचना से पुलिस मुख्यालय को अविलम्ब अवगत करायेंगे।


03. जिन पुलिस पदाधिकारियों की सेवावधि 01 वर्ष 06 माह (मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के पत्रांक 434 दिनांक 01.03.2007 के आलाक में 01 वर्ष के अंदर सेवानिवृत्त होने वाले पदाधिकारियों/कर्मियों

08/8/24

*(Handwritten Signature)*

को स्वैच्छिक स्थान पर पदस्थापन/स्थानान्तरण से संबंधित मामले हेतु) एवं 02 वर्ष 06 माह (पुलिस हस्तक नियम 778(iii) के अनुरूप 02 वर्ष या उससे कम की सेवानिवृत्ति की अवधि वाले पदाधिकारियों/कर्मियों को गृह जिला में पदस्थापन/स्थानान्तरण से संबंधित मामले हेतु) शेष है, उन पदाधिकारियों का स्थानान्तरण संबंधी मामला पर विचारण किया गया है। अवधि के बाहर वाले आदेश तब प्रभावी होगा, जब वे कंडिका-09 में निर्धारित तिथि को विचारण की परिधि में आयेंगे।

04. संबंधित क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप-महानिरीक्षक को रिक्तियों के संबंध में कोई कठिनाई हो तो वे तत्संबंधी मामले में बिहार पुलिस मुख्यालय, पटना को अवगत करायेंगे।
05. जिन पुलिस पदाधिकारियों की सेवाकाल मात्र 06 माह या उससे कम रह गया है, उन मामलों में यदि उक्त पदाधिकारी यथावत बने रहने संबंधी अभ्यावेदन देते हैं, तो संबंधित पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप-महानिरीक्षक उनके स्थानान्तरण/पदस्थापन संबंधी मामले को क्रियान्वित नहीं करेंगे।
06. जिन पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा सेवानिवृत्ति निकटता के आधार पर सिर्फ इकाई में पदस्थापन करने हेतु अनुरोध किया गया था, उनके द्वारा किए गए अनुरोध को अस्वीकृत कर दिया गया है। सिर्फ ऐच्छिक/गृह जिला के आवेदनों पर विचार किया गया है।
07. उक्त स्थानान्तरण अभ्यावेदन के आधार पर किया गया है, अतः यात्रा/स्थानान्तरण भत्ता देय नहीं होगा।
08. उन सभी अभ्यावेदनों को जो उचित माध्यम से प्राप्त नहीं हुए हैं, उन्हें संबंधित पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप-महानिरीक्षक को वापस किया जा रहा है। संबंधित पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप-महानिरीक्षक स्पष्ट अनुशंसा के साथ तत्संबंधी प्रस्ताव बिहार पुलिस मुख्यालय, पटना को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
09. इस आदेश पर पुलिस महानिदेशक, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।


  
पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय)  
बिहार, पटना

ज्ञापांक-पी0-1/04-09-17-2023/346

पटना, दिनांक-08/08/2024

**प्रतिलिपि :-**

1. अपर पुलिस महानिदेशक, आधुनिकीकरण एवं राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, बिहार, पटना को कृपया सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. पुलिस महानिरीक्षक, केन्द्रीय क्षेत्र, पटना/मगध क्षेत्र, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
3. पुलिस उप-महानिरीक्षक, कोशी क्षेत्र, सहरसा/सारण क्षेत्र, छपरा/शाहाबाद क्षेत्र, डिहरी ऑन-सोन/पूर्वीय क्षेत्र, भागलपुर/चम्पारण क्षेत्र, बेतिया/मिथिला क्षेत्र, दरभंगा/पूर्णिया क्षेत्र, पूर्णिया/रेलवे क्षेत्र, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
4. आई0टी0 मैनेजर, बिहार पुलिस मुख्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

  
पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय)  
बिहार, पटना